



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22670-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **29977/2025**

इमरान अलीयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मोहम्मद ज़ैद, प्रतीक जे. नागर

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 09.12.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो मुकदमा अपराध संख्या-328/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना-छपार, जनपद-मुजफ्फरनगर से उत्पन्न हुई है, को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया एकमात्र तर्क यह है कि वर्तमान मामले में, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021 (इसके बाद "नियमावली, 2021" के रूप में संदर्भित) के नियम 5(3)(ए) का पूर्ण उल्लंघन करते हुए दर्ज की गई है और इस प्रकार, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट विधि विरुद्ध है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि गैंग चार्ट के सावधानीपूर्वक अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नियमावली, 2021 के नियम 5(3)(ए) का विधिवत अनुपालन किया गया है और उस संबंध में बिल्कुल भी अवैधता नहीं है। इसके अलावा, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इसलिए, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त नहीं की जा सकती।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने माननीय शीर्ष अदालत द्वारा स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी, (2017) 2 एससीसी 779, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में प्रतिपादित कानून

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और माननीय शीर्ष अदालत के हालिया निर्णय दाण्डिक अपील संख्या-843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य पर भरोसा जताया।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए विरोधी तर्कों, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तीन आधारभूत मामलों (बेस केसेस) के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और नियमावली, 2021 के नियम 5(3)(ए) का विधिवत अनुपालन किया गया है, अतः उसमें लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, जिसके कारण हमारा यह मत है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त नहीं की जा सकती।
7. अतः, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
8. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/निर्यातित जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाएगा और निस्तारित किया जाएगा।
9. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

के.एस.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"